हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नियुक्ति–।।)

संख्या पर(एपी–बी)ए(3)–5/2013 तारीख शिमला–2, 22 फरवरी, 2014

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना पर(एपी–II)ए(3)1/88, तारीख 24.11.1995 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में, अवर सचिव, (गैर–हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा), वर्ग– I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातीं हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, अवर सचिव, (गैर–हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा), वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध–I का संशोधन।

2. (1) हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, अवर सचिव (गैर–हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1995, के उपाबन्ध–I में;

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– **"03 (तीन)";**

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"पे बैण्ड 15600–39100 रूपए +6600 रूपए ग्रेड पे"; और

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"अनुभाग अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अनुभाग अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अनुभाग अधिकारी और अधीक्षक ग्रेड–II का संयुक्ततः 6 (छह) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित कर छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अनुभाग अधिकारी के रूप में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा भी समिमलित होगी।

उपरोक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्टार/अतिरिक्त रजिस्टार के पद, पहले से धारण करने वाले अधिकारियों पर जिनकी रजिस्टार/अतिरिक्त रजिस्टार और अनुभाग अधिकारी के रूप में छह वर्ष का सेवाकाल है, प्रोन्नति के लिए, अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी वरिष्ठता के क्रम में विचार किया जाएगा तथा तत्पश्चात रजिस्टार/अतिरिक्त रजिस्टार/संयुक्त नियन्त्रक के पद समाप्त हो जाएंगे।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरक पोषक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया कों अपनाने के पश्चात की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरक पद में अपने कुल सेवाकाल तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हों, के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबंधों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने– अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पद्धारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि, जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने संबंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः–

अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पद्धारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोविलाईज्ड आर्मड फोर्सिस पर्सनल रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसीज़ रूल्ज़, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़ रूल्ज़, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत, भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तद्र्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्, जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"

आदेश द्वारा,

पी0 मित्रा0
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृ0 संख्या पर(एपी–बी)ए(3)–5/2013 तारीख शिमला–2, 22 फरवरी, 2014

1. प्रधान सचिव, (कार्मिक/विधि/वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–171002
3. प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश शिमला–171003
4. वरिष्ठ विधि अधिकारी (राजभाषा) विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला–2.
5. नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), कार्मिक विभाग, हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला–2.
6. रक्षक नस्ति/50 अतिरिक्त प्रतियॉ।

(प्रेम सिंह ठाकुर)
उप सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
दूरभाष–0177–2624183

*****

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP-B)A(3)5/2013 dated 22-02-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-II)

No. Per(AP-B)A(3)5/2013 **Dated Shimla-171002, 22 February, 2014**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 read with Article 318 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Public Service Commission, Under Secretary, (Non-HAS) (Gezetted Class-I) Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified vide this Department's notification No. Per(AP-II)A(3)1/88, Dated 24-11-1995 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, Dated 30-12-1995, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission, Under Secretary, (Non-HAS) (Gezetted Class-I) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure –I.

2. In Annexure-I to the Himachal Pradesh Public Service Commission, Under Secretary (Non-HAS) (Gezetted Class-I) Recruitment and Promotion Rules, 1995,:-

(a) For the existing provision against Column No. 2, the following shall be substituted, namely:-

"03 (three)";

(b) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:-

"Pay band ₹ 15600-39100 + ₹ 6600 Grade Pay"; and

(c) For the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:-

"By promotion from amongst Section Officers who possess (05) five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Section Officers who possess 06 (six) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Section Officer and Superintendent Grade-II; which shall include essential service of 03 years' as Section Officer.

Notwithstanding anything contained in para supra, the officers already holding the posts of Registrar/Additional Registrar having six years service as Registrar/Additional Registrar and Section Officer shall be considered for promotion in order of their seniority as Section Officer and thereafter the posts of Registrar/Additional Registrar/Joint Controller shall stand abolished.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

<u>Explanation:</u>- The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By Order

P. Mitra.
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh

..4..

No. Per(AP-B)A(3)5/2013 Dated Shimla-171002, the 22 February, 2014
Copy forwarded to:

1. **The Pr. Secretary (Personnel/Finance/Law) to the Govt. of H.P., Shimla-2.**
2. **The Secretary, H.P., Public Service Commission, Himachal Pradesh, Shimla-2.**
3. **Pr. Accountant General, H.P. Shimla- 171003.**
4. **The Senior Law Officer (Opinion), Law Department, H.P. Secretariat, Shimla-2**
5. **Controller (F&A), Department of Personnel, H.P. Secretariat, Shimla-2.**
6. **Guard File/ 50 spare copies.**

(Prem Singh Thakur)
Deputy Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh
Tel. No. 0177-2624183

*****